

\*#StopCOVID-19: दो गज की दूरी और मास्क है जरूरी\*

=====

\*सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा\*

\*प्रेस विज्ञप्ति संख्या:-१०३४\*

\*बुधवार, 07 अक्टूबर 2020\*

=====

\*मुख्य सचिव झारखंड सरकार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में जिला उपायुक्त श्री अरवा राजकमल हुए शामिल\*

आज मुख्य सचिव झारखंड सरकार श्री सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में राज्य के सभी उपायुक्त और सिविल सर्जन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न दिशा निर्देश दिए गए।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव ने सभी उपायुक्त को निर्देश दिया कि आगामी दो से तीन माह कोविड-19 संक्रमण को रोकने हेतु एक चुनौती हैं, क्योंकि पश्चिम सिंहभूम सहित संपूर्ण झारखंड का कोविड-19 से रिकवरी दर बेहद संतोषजनक है और पॉजिटिव मरीजों की संख्या में भी दिन पर दिन गिरावट आ रही है अभी कोरोनावायरस से जितने अधिक लोग संक्रमित हो रहे हैं उससे कहीं अधिक लोग स्वस्थ हो रहे हैं मुख्य सचिव के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी के कार्यों की सराहना की गई। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आने वाले समय में दुर्गा पूजा, दीपावली छठ क्रिसमस सहित अन्य त्यौहार आने वाले हैं, जिसमें लोगों का आवागमन काफी तेजी से होगा।

\*तीन बिंदुओं पर विशेष रूप से ध्यान देने हेतु दिया गया निर्देश\*

>> मास्क पहनना निर्देश दिया गया कि सभी लोग विशेषकर के मास्क का प्रयोग करेंगे अगर घरों में भी अधिक लोगों की संख्या है तो आपस में मेलजोल के क्रम में मास्क का प्रयोग अवश्य करेंगे।

>> सोशल डिस्टेंसिंग बाहर जाते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष रूप से पालन करें जैसे मार्केट रेलवे स्टेशन कार्यालय में कार्य करते वक्त तथा अन्य किसी भी प्रकार के कार्य में 2 गज की दूरी का पालन अवश्य रूप से करें।

>> हैंड हाइजीन हाथों को बार-बार 20 सेकंड तक साबुन से धोना या सैनिटाइज करने के बारे में जानकारी दी गई घर से बाहर जाते वक्त अगर किसी भी वस्तु को छूते हैं उसके बाद अपने हाथों को धोने या सेनीटाइज करने के पश्चात ही हाथ मुंह नाक को छुए।

\*उक्त तीनों बिंदुओं पर पश्चिम सिंहभूम जिला प्रशासन आने वाले दिनों में बृहद जागरूकता कैंपेनिंग चलाएगा जिसमें लोगों को मास्क पहनना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और हैंड हाइजीन के संबंध में जानकारी दी जाएगी\*

\*दुर्गापूजा हेतु मुख्य सचिव के द्वारा दिया गया विशेष निर्देश\*

झारखंड सरकार द्वारा जारी किए गए दुर्गा पूजा के संबंध में दिशानिर्देश को मुख्य सचिव ने सख्ती से पालन कराने हेतु सभी जिला उपायुक्त को निर्देश दिया उन्होंने कहा कि आम लोगों के लिए पूजा पंडाल में जाकर पूजा करने की अनुमति नहीं है, भव्य पंडाल का निर्माण, प्रसाद वितरण, आकर्षक लाइटिंग, उद्घाटन, सभा इत्यादि की अनुमति नहीं दी गई है। कोरोनावायरस का फैलाव को रोकना तथा मृत्यु दर को कंट्रोल करना और पॉजिटिव मरीजों की संख्या में गिरावट लाना ही झारखंड सरकार का लक्ष्य है इन सभी को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है।

जिला उपायुक्त श्री अरवा राजकमल ने जिला वासियों से अपील किया कि संभव हो तो सभी लोग अपने घरों पर ही पूजा करें तथा पूजा समिति से उन्होंने आग्रह किया कि भव्य पंडाल का निर्माण ना करें मूर्ति की ऊंचाई 4 फीट की हो तथा आम जनता को पूजा पंडाल में प्रवेश नहीं करने देना है तथा झारखंड सरकार के द्वारा जारी किए गए पूजा की गाइडलाइन के मद्देनजर ही पूजा कर सकते हैं।

\*कल जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के संयुक्त अध्यक्षता में सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तथा अन्य लोगों के साथ बैठक का आयोजन किया गया है जिसमें दुर्गा पूजा के आयोजन के संबंध में दिशा निर्देश अंतिम पूजा समिति तक पहुंचाई जाएगी\*

=====

\*Team PRD Chaibasa\*

=====

\*कोरोना (COVID-19) आपातकालीन डायल नंबर:\*

-----  
\*डिस्ट्रिक्ट कॉल सेंटर- 1950 / 100\*

=====